छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय

कमांक एफ 7–6/05/1/6/ रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर, 2005

प्रति,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
सचिव/संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन ।
2. समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषयः—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी की नियुक्ति ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–2 के तहत लोक प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है । इस परिभाषा अनुसार राज्य में निम्न प्रकार से लोक प्राधिकारी होंगे ।

1. मंत्रालय के समस्त विभाग ।
2. मंत्रालयीन विभागान्तर्गत समस्त विभागाध्यक्ष ।
3. समस्त जिलाध्यक्ष ।
4. समस्त जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत ।
5. समस्त नगर निगम/ नगरपालिका /नगर पंचायत ।
6. समस्त विश्वविद्यालय ।
7. राज्य शासन अन्तर्गत कार्यरत सभी बोर्ड, निगम, समितियाँ (पंजीकृत एवं अपंजीकृत) चाहे वह कम्पनी अधिनियम, 1956, चेरिटेबल ट्रस्ट अधिनियम एवं समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो और /अथवा जो राज्य शासन के मंत्रिपरिषद् के निर्णय, शासन निर्णय, अधिसूचना अथवा राज्य के अधिनियम द्वारा गठित किये गये हों
8. सभी स्वयं सेवी संस्थाएँ जो पिछले वर्ष में शासन से रूपये 2.00 लाख (दो लाख केवल) या अपने टर्नओवर का 25 प्रतिशत इसमें जो कम हो अनुदान लिया हो ।

उपरोक्त लोक प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का कियान्वयन सुनिश्चित करेंगे । संबंधित सभी प्रशासकीय विभाग अपने अधीनस्थ आने वाले लोक प्राधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर आवश्यक अनुदेश जारी करेगे । कृपया जारी आदेशों की प्रति इस विभाग को प्रेषित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

नंदकुमार

(नंद कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0 कमांक एफ–7–6/05/1/6 रायपुर, दिनांक, 21 नवम्बर, 2005

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय रायपुर ।
3. सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार नार्थ ब्लाक नई दिल्ली, 110001 ।
4. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय रायपुर ।
5. रजिस्ट्रार, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर / रजिस्ट्रार, गुरूघासी दास विश्वविद्यालय, बिलासपुर ।
6. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
9. संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्राणालय, राजनांदगांव ।
10. स्टाफ फाईल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कुमार

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग